

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) बांसवाड़ा (राजस्थान)  
पीठासीन अधिकारी – अभिषेक गोयल, RAS

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 03/2024

रजिस्ट्रेशन नं. : 2024/9

अभियुक्त :-

राजस्थान राज्य जरिये  
खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
बांसवाड़ा (राज)

बनाम

श्री भानु पटेल पुत्र श्री नरेन्द्र पटेल निवासी  
प्लॉट नं. 115-116 कॉलेज रोड, सुभाष नगर  
के पास, बांसवाड़ा, (विक्रेता/ मालिक)  
मैसर्स माही ट्रेडिंग कम्पनी, कॉलेज रोड,  
कस्टम चौराहा, बांसवाड़ा

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक  
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 04-03-2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री उम्मेद मल टेलर खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 01-10-2024 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 18-01-2023 को 3.00 पी.एम. बजे बाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स माही ट्रेडिंग कम्पनी, कॉलेज रोड, कस्टम चौराहा, बांसवाड़ा पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर श्री भानु पटेल पुत्र श्री नरेन्द्र पटेल उपस्थित थे। विक्रेता एवं गवाहान की उपस्थिति में मैसर्स माही ट्रेडिंग कम्पनी, कॉलेज रोड, कस्टम चौराहा, बांसवाड़ा का निरीक्षण करने पर दुकान में पान मसाला (महक सिल्वर) 32 पैकेट, प्रत्येक पैकेट में 30 पाउच, प्रत्येक पाउच में 120 ग्राम के विक्रय हेतु रखे थे। उक्त पान मसाला (महक सिल्वर) में मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए पान मसाला (महक सिल्वर) के 16 पैकेट वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 1920/- रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा पान मसाला (महक सिल्वर) के 16 पैकेट प्रत्येक पैकेट में 30 पाउच, प्रत्येक पाउच में 120 ग्राम के चार नमूना भाग तैयार कर प्रत्येक भाग पर तैयार किये गये लेबल, जिस पर श्री.ओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बांसवाड़ा का कोड क्रमांक W-1270 प्रत्येक नमूना



अभियुक्त निर्णयन अधिकारी  
(अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट)


भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया गया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाये। सील बंद नमूनों पर गवाहों के हस्ताक्षर कराकर नमूने का सम्पूर्ण विवरण लिखकर हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। एक नमूना मय फार्म न. 6 की एक प्रति आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर, दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर, चपडी से सील मोहर कर दो सीलबन्द नमूना तथा शेष नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में, चपडी से सील बन्द कर, सील मोहर कर अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा को जमा करवाया।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/48 दिनांक 06-02-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 69 दिनांक 31-01-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया पान मसाला (महक सिल्वर) का नमूना कोड क्रमांक **W-1270** Misbranded food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा पान मसाला (महक सिल्वर) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 02-01-2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपी को जरिये समन तलब किया गया।

दिनांक 19-02-2024 को अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है।

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2023/48 दिनांक 06-02-2023 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 69 दिनांक 31-01-2023 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया गया पान मसाला (महक सिल्वर) का नमूना कोड क्रमांक **W-1270** Misbranded food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्त द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब



मुख्य निर्णायक अधिकारी  
(अ.स.निला कलक्टर)

किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती हैं। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(zf)(c)(i) के तहत मिसब्राण्ड पाया गया पान मसाला (महक सिल्वर) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अप्रार्थी श्री भानु पटेल पुत्र श्री नरेन्द्र पटेल निवासी प्लॉट नं. 115-116 कॉलेज रोड, सुभाष नगर के पास, बांसवाडा, (विक्रेता/ मालिक) मैसर्स माही ट्रेडिंग कम्पनी, कॉलेज रोड, कस्टम चौराहा, बांसवाडा को रूपये 20000/- (अक्षरे बीस हजार रुपया मात्र) से दण्डित कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करने आदेश जारी किये।

निर्णय आज दिनांक 04-03-2024 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(अभिषेक गोयल)  
न्याय निर्णयन अधिकारी  
(अति० जिला मजिस्ट्रेट)  
बांसवाड़ा (राज.)